न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 176 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. सेणीदान पुत्र करणीदान 2. रवीदान पुत्र करणीदान 3. कुमेरदान पुत्र करणीदान 4. श्रीमती अन्तरकंवर पत्नी करणीदान जाति चारण निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. मोहनलाल पुत्र केसराराम 2. शंकरलाल पुत्र केसराराम 3. सवाईलाल पुत्र जीवनलाल 4. मोतीलाल पुत्र जीवनलाल 5. जूंझाराम पुत्र जीवनलाल 6. श्रीमती शांति देवी पत्नी जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर 7. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 177 / 2016 बअनवान मोहनलाल वगै. बनाम सेणीदान वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना

निर्णय

दिनांकः—27.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। हस्तगत वाद में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर फर्द मौका एवं नक्शा के आधार पर किया गया बंटवाड़ा जिस पर अपीलांट के कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं बिना हस्ताक्षर अपीलांट संख्या 01 से 04 के विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश खारिज योगय है। हस्तगत वाद में उपरोक्त हिस्सों की घोषणा कर अपीलकर्ता की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार शिव से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि दिनांक 22.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसका ज्ञान अपीलांट को दिनांक 09.10.2017 को होने पर जिसकी नकले मांगी गई, जो नकले दिपावली को अवकाश होने पर दिनाक 27.10.2017 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। विधि के मत में किसी भी त्रुटिपूर्ण आदेश की अपील वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 177/2016 बअनवान मोहनलाल वगै. बनाम सेणीदान वगै. में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर